श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 09.12.2013 को "विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मुंगेर" के अभियंताओं के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :- यथा पंजी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बिन्दुवार प्रदत्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए उपस्थित सभी अभियंताओं को निम्नलिखित निदेश दिये :-

1. कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जिले के सभी 14 थानों का बकाया विद्युत बिल का आंकलन कर, थानावार अद्यतन बकाया विद्युत विपत्र संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराते हुए उसकी समेकित विवरणी पुलिस अधीक्षक, मुंगेर एवं अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें ताकि बकाए राशि के भुगतान की कार्रवाई नियमानुसार की जा सके। साथ ही नियमित रूप से विद्युत विपत्र उपलब्ध कराने तथा मीटर गड़बड़ी के साथ अन्य कोई विद्युत संबंधी असुविधा होने पर उसके निराकरण की सुगम व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएँगे।
2. इसी प्रकार सदर अस्पताल, मुंगेर/अनुमंडलीय अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्र के बकाया राशि का आंकलन करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को विद्युत विपत्र भेजते हुए उसकी प्रति सिविल सर्जन, मुंगेर को उपलब्ध कराएँगे ताकि बकाया राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा सके।
3. समीक्षा के क्रम में स्पष्ट किया गया कि बी0एम0पी0-9, जमालपुर परिसर में विद्युत बिल जमा नहीं करने के कारण विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया था। तदालोक विभाग से विद्युत विपत्र मद में 64.00/- लाख रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ है। राशि प्राप्त होते ही विद्युत कनेक्शन कर दिया जाए।
4. कार्यपालक अभियंता को यह जिम्मेवारी दी जाती है कि सभी अनुमंडल/प्रखंड/अंचल मुख्यालयों का विद्युत विपत्र मद में बकाये राशि की गणना कर संख्यात्मक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को आगामी बैठक में उपस्थापित करें।
5. सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5358, दिनांक 29.11.13 द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं बिजली कम्पनी के मध्य बिजली बिल से संबंधित समस्याओं को सुलझाने हेतु प्रत्येक माह की 10वीं तारीख को समाहरणालय परिसर में कैम्प आयोजित करने के प्रदत्त निदेश का अनुपालन निश्चितरूपेण किया जाए।
6. विभागीय निदेशानुसार दिनांक 28.11.13 एवं 29.11.2013 को जिलान्तर्गत नगर क्षेत्र में नए विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आयोजित विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों की संख्यात्मक विवरणी निम्न प्रकार बताई गई :-

क्र0	**नगर क्षेत्र**	**प्राप्त आवेदनों की सं0**	**विद्युत सम्बन्ध निष्पादित आवेदन की सं0**	**प्रतिशत**
1	मुंगेर	552	87	15.76 %
2	जमालपुर	413	210	50.85 %
3	तारापुर	450	89	19.78 %
4	खड़गपुर	173	98	56.65 %
	कुल	**1588**	**484**	**30.48 %**

पूर्व सम्पन्न साप्ताहिक बैठक में निर्णित निर्णय, यथा **नगर क्षेत्र में नए विद्युत कनेक्शन हेतु दिनांक 18.12.2013 को शिविर आयोजित किए जाएँ,** के निमित्त कार्यपालक अभियंता सभी आवश्यक तैयारियाँ शिविर के पूर्व निश्चित रूप से कर लेंगे। साथ ही सभी कनीय विद्युत अभियंताओं को निदेश दिया गया कि दिनांक 28.11.13 एवं 29.11.13 को आयोजित विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन अविलम्ब करेंगे, अन्यथा अनुपालन नहीं किए जाने

वाले कनीय अभियंता के विरूद्ध निलम्बन/संविदामुक्त करने की अनुशंसा विभाग को भेज दी जाएगी।

7. कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि सफियाबाद में 10MVA का उपलब्ध कराए गए ट्रांसफॉर्मर का अधिष्ठापन इस सप्ताह तक निश्चित रूप से कर दिया जाएगा।

8. पूर्व बैठक में निदेश दिया गया था कि नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक फीडरवार विद्युत विपत्र तैयार करते हुए वसूली की जाए ताकि फीडरवार वसूली के समानुपात में विद्युत आपूर्ति की जा सके। इसके अनुपालन की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि जिले के कुल 29 फीडरों में से अधिकांश विद्युत अभियंता द्वारा फीडरवार वसूली संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इस निमित्त पुनश्च निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता अभिरूचि लेते हुए संबंधित विद्युत अभियंताओं से माह नवम्बर, 2013 तक फीडरवार मांग एवं वसूली से संबंधित प्रतिवेदन आगामी साप्ताहिक बैठक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे। विदित हो कि वर्तमान में जिला में कुल 29 फीडर कार्यरत् हैं जिसमें मुंगेर में 10, जमालपुर में 12, तारापुर में 04 एवं खड़गपुर में 03 फीडर हैं।

9. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रखंड मुख्यालय भवन/कार्यालय में विद्युत कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए विद्युत बिल जमा लेने एवं नए कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र लेने हेतु काउण्टर को धरहरा एवं असरगंज में कार्यरत् कर दिया गया है, परन्तु बरियारपुर, टेटियाबंबर एवं संग्रामपुर में अबतक कार्यरत् नहीं कराया जाना चिंताजनक है। अतः कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अपनी देख-रेख में हर हाल में इस सप्ताह के अन्त तक उपरोक्त प्रखंड मुख्यालय भवन/कार्यालय में काउण्टर का संचालन सुनिश्चित कराते हुए प्रखंडवार विद्युत बिल वसूली की विवरणी समर्पित करेंगे। संबंधित कनीय अभियंता इस कार्य के लिए विशेष रूप से जवाबदेह होंगे।

10. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिले में कार्यान्वित मीटर रीडिंग एजेन्सी में कार्यरत् कर्मियों की संख्या यथावत् है, जो निम्न है :-

Sl. No.	Block	Meter Reading Agency	working employee
1	Munger	6	30
2	Jamalpur	6	24
3	Tarapur	3	12
4	Kharagpur	1	10
	Total	**16**	**76**

11. विभागीय निदेश के अनुसार मीटर रीडिंग का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में रखा गया है जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्र, वाणिज्य उपभोक्ताओं (LTIS-1) तथा बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं (LTIS-2) की शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग करना है। पुनः निदेश दिया गया कि मीटर रीडिंग एजेन्सी एवं कार्यरत् कर्मियों के कार्यो की समीक्षा नियमित रूप से की जाए, ताकि मीटर रीडिंग की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी के साथ शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित की जा सके।

12. कार्य0 अभि0 ने बताया कि माननीयों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव में चिन्हित कई स्थलों का प्रस्ताव समान होने के कारण संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतएव उक्त तथ्यों की सूचना संबंधित माननीयों को देते हुए संशोधित प्रस्ताव की मांग की कार्रवाई अपेक्षित है। इस हेतु संबंधित सहायक अभियंता को निदेश दिया गया कि विशेष रूचि लेते हुए विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता आधारित बदले जाने वाले ट्रांसफॉर्मरों को चिन्हित कर माननीय विधायकों से सहमति ली जाए। इसके अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उपलब्ध कराए गए सूची के आधार पर 16KVA तथा 25KVA के बदलने वाले ट्रांसफॉर्मरों के स्थलों को चिन्हित करते हुए उन स्थलों पर

आवश्यकतानुसार 63KVA अथवा 100KVA के ट्रांसफॉर्मर का प्राक्कलन संबंधित विद्युत अभियंता से यथाशीघ्र प्राप्त कर जिला योजना कार्यालय को भेजते हुए उसकी अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन आगामी बैठक में उपस्थापित करेंगे।

13. प्रत्येक अनुमंडल में 132/33KVA का ग्रीड सब-स्टेशन का स्थापना किया जाना है। इसी कड़ी में सहायक अभियंता को निदेश दिया गया कि तारापुर अनुमंडल में उक्त योजना हेतु चिन्हित भूमि का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर से सम्पर्क कर यथाशीघ्र उपलब्ध कराएँ।

14. कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि 10,000/- रूपये से उपर कुल 15421 विद्युत विपत्र बकायेदार उपभोक्ताओं की अनुमंडलवार सूची निम्नवत् है :-

क्र0	अनुमंडल कार्यालय	कुल बकायेदारों की संख्या	नवम्बर माह तक विच्छेदित किए गए उपभोक्ताओं की सं0	प्रतिशत
1	मुंगेर सदर	5604	435	7.76%
2	जमालपुर	4302	948	22.04%
3	तारापुर	3646	540	14.81%
4	खड़गपुर	1869	513	27.45%
	कुल	**15421**	**2436**	**15.80%**

कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि बकायेदार 15421 उपभोक्ताओं में से 3984 उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा कर दिए जाने से अब कुल बकायेदार उपभोक्ताओं की संख्या 9815 रह गई है जिसके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि बकायेदार उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए राशि एवं उपभोक्ताओं की संख्यात्मक विवरणी आगामी बैठक में उपलब्ध कराया जाए। साथ ही कार्य0 अभि0 को निदेशित किया गया कि विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त अधिवक्ता श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा को भी आगामी बैठक में भाग लेने के लिए सूचित किया जाए।

15. निर्णय लिया गया कि चेंकिंग के दौरान संज्ञान में आए गलत तरीके से बिजली चलाने वाले उपभोक्ताओं तथा विद्युत से संबंधित नीलाम पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अनुरोध किया जाए।

16. श्री चंदन कुमार, कनीय अभियंता, खड़गपुर द्वारा बैठक अवधि में गंगटा गाँव में संचालित अवैध विद्युत सम्पर्कता (टोका) को हटाते समय मोबाईल से लिए गए तस्वीरों को देखते ही सभी विद्युत अभियंताओं को निदेश दिया गया कि छापेमारी के दौरान मोबाईल से लिए गए फोटो को कागजी साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाने वाले प्राथमिकी में अवश्य संलग्न किया जाए।

17. **Reconducturing:-** विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा जानकारी दी गई कि रिकंडक्टरिंग कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है, अर्थात् पूर्व समर्पित प्रतिवेदन यथावत् है। कुल 619 कि0मी0 में से अबतक कुल 342 कि0मी0 एवं नवम्बर, 2013 में 18KM ही Reconducturing का कार्य ही किया जा सका है, जिसकी विद्युत अनुमंडल कार्यालयवार संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0	विद्युत अनुमंडल कार्यालय	लक्ष्य (कि0मी0)	अक्टूबर, 2013 तक	नवम्बर, 2013 में	कुल Reconducturing	प्रतिशत
1	मुंगेर	60	41.12	6.0	47.12	78.53%
2	जमालपुर	237	119.16	7.2	126.36	53.32%
3	तारापुर	190	121.71	5.0	126.71	66.69%
4	खड़गपुर	132	41.71	1.5	43.21	32.73%
	कुल	**619**	**323.70**	**19.7**	**343.40**	**55.48%**

विदित हो कि विभाग द्वारा प्रदत्त निदेशानुसार प्रत्येक माह कम-से-कम 25 कि0मी0 Reconducturing किया जाना है। कार्य0 अभि0 द्वारा आवश्वस्त

किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप Reconducturing कार्य सुनिश्चित करने हेतु हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं तथा दिसम्बर माह के अन्त तक लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

18. कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि विद्युत बिल से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु जिला जनता दरबार से भेजे गए आवेदनों का निष्पादन नियमित रूप से करते हुए प्रगति प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

19. शहरी क्षेत्रों, यथा– मुंगेर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर में 100% मीटर रीडिंग एवं नए कनेक्शन दिए जाएँ। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं होगा।

20. विद्युत connection लेने वाले नए उपभोक्ताओं की सुगमता हेतु समय–समय पर शिविर लगाने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

9/12/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2462 /गो0, दिनांक 09/12/2013

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, विद्युत/कार्य0अभि0 विद्युत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्य0अभि0, विद्युत आपूर्ति, अंचल, मुंगेर इसकी प्रति अपने स्तर से सभी संबंधितों को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मुंगेर/नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2462 /गो0, दिनांक 09/12/2013

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लि0, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।